न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

(1) अपील संख्याः—85 / 2018 / 223 (2018 / 00085)

1. भंवरलाल पुत्र धन्नालाल, जाति जाट, निवासी उगाई, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. किशनलाल पुत्र धन्नालाल, जाति जाट,
2. रामेश्वर पुत्र धन्नालाल, जाति जाट,
3. चन्द्र प्रकाश पुत्र धन्नालाल, जाति जाट,
4. रामनारायण पुत्र मुतबन्ना सोनारायण, जाति जाट,
   समस्त निवासीगण ग्राम उगाई, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 7.3.2018 अंतर्गत वाद संख्या 3959 / 2015.

उपस्थितः—

1. श्री ईश्वर देवड़ा एवं श्री माधवराज, वकील अपीलांट ।
2. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 4 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5.

(2) अपील संख्याः—86 / 2018 / 223 (2018 / 00086)

1. भंवरलाल पुत्र धन्नालाल, जाति जाट, निवासी उगाई, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. किशनलाल पुत्र धन्नालाल, जाति जाट,
2. रामेश्वर पुत्र धन्नालाल, जाति जाट,
3. चन्द्र प्रकाश पुत्र धन्नालाल, जाति जाट,
4. रामनारायण पुत्र मुतबन्ना सोनारायण, जाति जाट,
   समस्त निवासी ग्राम उगाई, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 7.3.2018 अंतर्गत वाद संख्या 148/2011.

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी एवं श्री माधवराज, वकील अपीलांट ।
2. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 16.12.2019

1. हस्तगत दोनों अपीलें विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 7.3.2018 के विरूद्ध पृथक—पृथक इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में दोनों अपीलों के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी भंवरलाल ने अधी0न्याया0 में वाद संख्या 148/2011 बउनवान भंवरलाल बनाम किशनलाल व अन्य अंतर्गत धारा 88, 53, 199 व 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम उगाई, तह0 केकड़ी की जमांदी संवत् 2025 से 2028 के खाता संख्या 31—34 खसरा नंबरान 232, 233, 234, 235, 252, 253, 254, 260, 261, 263, 305, 307, 309, 310, 327, 378, 431/1, 431/2, 437 कुल किता 20 रकबा 136 बीधा 18 बिस्वा जिसके नये नंबर जमाबंदी संवत् 2064 से 2067 के अनुसार खसरा नंबर 700, 705, 825, 828, 707, 708, 784, 783, 778, 813, 841, 806, 840, 845, 839, 849, 925, 1053, 1057, 1108, 1109 स्व0 धन्ना पुत्र काना जाति जाट के नाम बतौर खातेदारी में दर्ज है जिनकी मृत्यु के पश्चात् वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा संयुक्त रूप से चला आ रहा है व काबिज है। वर्तमान जमाबंदी में खसरा नंबर 1053, 1057, 825, 828, 925 का इंद्राज अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा खसरा नंबर 700, 705, 849, 1108, 1109 प्रतिवादी संख्या 2 रामेश्वरलाल के नाम दर्ज है । इसली प्रकार खसरा नंबर 806, 813, 839, 841, 845 प्रतिवादी संख्या 3 के चन्द्रप्रकाश के नाम दर्ज है । शेष आराजी खसरा नंबर 707, 708, 778, 784, 783 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज है परन्तु प्रतिवादी नंबर 4 रामनारायण वादी के पिता के छोटे भाई श्योनारायण के गोद चला गया जिससे उसके अधिकार इन आराजियात में नहीं रहते है। वादी को दिनांक 27.7.2011 को राजस्व रिकार्ड की नकले लेने पर जानकारी हुई कि उसके पिता धन्नालाल की आराजी प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 के नाम अकेले दर्ज हो गई जबकि वादी व प्रतिवादी संख्य 1, 2, व 3 का प्रत्येक का 1/4 हिस्से के अनुसार दर्ज होना चाहिये था । वादी व प्रतिवादी की माता भूला का देहांत 5 वर्ष पूर्व तथा सोहनी का 12 वर्ष पूर्व ही हो गया है । उनका हिस्सा भी वादी व प्रतिवादी नंबर 1 से 3 का बराबर का है । अंत में निवेदन किया कि वाद वादी स्वीकार कर वादी को 1/4 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का प्रत्येक का 1/4 हिस्से का विभाजन की डिक्री पारित करने व वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को समान रूप से खातदोर घोषित करने, प्रतिवादी संख्या 4 का नाम व भूला तथा सोहनी का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर वादी व

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य समान रूप से बंटवारा कर ट्रेस नक्शा बनवाया जावे, रिकार्ड में इंद्राज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 7.3.2018 द्वारा वादी/अपीलांट भंवरलाल का वाद संख्या 148/2011 खारिज करने की डिक्री पारित की ।

3. इसी प्रकार वादी/रेस्पो0 किशनलाल ने भी अधी0न्याया0 के समक्ष एक अन्य वाद अंतर्गत धारा 188, 88, 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत वाद संख्या 3959/2015 बउनवान किशनलाल बनाम रामनारायण व अन्य पेश कर निवेदन किया कि ग्राम उगाई तहसील केकड़ी की जमांबदी संवत् 2041 में दर्ज विवादित आराजियात खातेदार धन्ना पुत्र काना कौम जाति जाट, निवासी उगाई की स्वअर्जित है । आराजी खाता संख्या 35–32 के खसरा नंबर 252 रकबा 4.12 है0 खसरा नंबर 253 रकबा 12 बीधा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 254 रकबा 1 बीघा साढे 6 बिस्वा, खसरा नंबर 260 रकबा 0.15 बिस्वा पाल, खसरा नंबर 261 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 263 रकबा 0.4 बिस्वा पाल कुल 32 बीघा 15 बिस्वा भूमि मूल खातेदार धन्ना पुत्र काना जाति जाट की है जिनका देहांत दिनांक 19.9.1989 को हो जाने से नामांतरकरण संख्या 64 दिनांक 18.6. 1992 को विरासत मु0 भूला, सोहनी बेवा धन्ना, रामनारायण, भंवरलाल, रामेश्वर, किशनलाल, चन्द्रप्रकाश पि0 धन्ना जाति जाट के नाम अंकन हुआ । मृतक धन्ना की प्रथम पत्नि भूला का देहांत दिनांक 10.9.2004 तथा द्वितीय पत्नि सोहनी की मृत्यु दिनांक 25.8.1989 को हो गई है । प्रथम पत्नि भूला के वारिसान रामनारायण, किशनलाल, चन्दप्रकाश है तथा द्वितीय पत्नि सोहनी के भंवरलाल व रामेश्वरलाल है । सभी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे है । संयुक्त रूप से उक्त आराजी काश्त होती आ रही है । उपरोक्त वाद वर्णित आराजी में संयुक्त रूप से वादी का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा है जिसमें प्रतिवादीगण गत 6 माह दीपावली 2014 से बंटवारा करने से इंकार होकर जबरन आब पास करने में चाह नंबर 778 में बाधा डालते है जिसकी वजह से अपने–अपने हिस्सों को उपजाऊ बनाने व मिट्टी की डोल डलवाने में समस्या आ रही है । अतः वादी वादी स्वीकार कर विवादित आरायिाज का विभाजन करने की प्रार्थना के साथ वादी का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा मौके पर अलग–अलग करते हुए अलग–अलग खातेदारी में नक्शा मं दर्शित कर खातेदारी की घोषणा व डिक्री दिलाने जाने का निवेदन किया साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 7.3.2015 द्वारा वादी किशनलाल का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश पारित किये ।

4. अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री दिनांक 7.3.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह दो पृथक–पृथक अपीलें इस न्यायालय में पेश की है।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

6. दोनों प्रकरणों में पक्षकारान, विवादित भूमियां समान होने से तथा एक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध होने से दोनों प्रकरणों में एक साथ बहस समाहत की जाकर दोनों प्रकरणों का निस्तारण एक ही निर्णय के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रतियां प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक संधारित की जावे ।

7. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील संख्या 85/2018 में बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि

विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने भंवरलाल के वाद में कायम सभी तनकियात का निर्णय वादी के विरूद्ध करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर ध्यान नहीं दिया कि आराजी मुतनाजा वादी भंवरलाल की पैतृक कृषि भूमि होकर वादी भंवरलाल के पिता जमनालाल के खातेदारी में दर्ज रही है व जमनालाल के 5 पुत्र थे जिसमें प्रथम किशनलाल, दूसरा भंवरलाल व तीना चन्द्रप्रकाश चौथा रामेश्वर व पांचवा रामनारायण है। इनमें से रामनारायण अपने काका श्योनारायण के गोद चले जाने सेउसका धन्नालाल की सम्पति में कोई अधिकार नही है । अतः वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को धन्नालाल द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमि में समान हक प्राप्त होता है किन्तु अधी0न्याया0 ने गैर कानूनी तौर पर तनकी संख्या 1 का निर्णय वादी के विरूद्ध करने में साक्ष्यों व तथ्यों के विपरीत निर्णय पारित किया है । अतः अधी0न्याया0 की डिक्री काबिल निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढाते हुए कथन किया कि तनकी संख्या 2 जो रामनारायण को अपने काका श्योनारायण के जाने से संबंधित थी उसका निर्णय भी गैर कानूनी तौर पर वादी भंवरलाल के विरूद्ध करने में भूल की है जबकि स्वंय प्रतिवादी के गवाह किशनलाल व अन्य व्यक्तियों ने अपने बयान में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि रामनारायण श्योनारायण के यहां गोद गये है व श्योनारायण की समस्त सम्पति रामनारायण के नाम गोद पुत्र होने के नाते दर्ज हुई है व जमाबंदी में भी रामनारायण मुतबन्ना सोनारायण दर्ज है । ऐसी स्थिति में साक्ष्य व विपक्षी की स्वीकृति के विपरीत इस तनकी का निर्णय वादी भंवरलाल के विरूद्ध करने में अधी0न्याया0 ने त्रुटि कारित की है ।,

8. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि तनकी संख्या 3 का निर्णय भी गलत तौर पर वादी के विरूद्ध करने में अधी0न्याया0 ने भूल की है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम किए गए इंद्राज गैर कानूनी तौर पर किये गये है जिसको वादी ने अपने वाद में चुनौती दी है । तनकी संख्या 4 के संबंध में निवेदन किया कि दिनांक 15.4. 1972 को कोई बंटवारा धन्नालाल ने नहीं किया था । परिवार में सबसे बड़ा भाई किशनलाल एकमात्र पढ़ा लिखा व्यक्ति था । उसने फर्जी तरीके से तहसीलदार को कैम्प में धन्नालाल का फर्जी हस्ताक्षर प्रस्तुत कर दिनांक 15.4.1972 को आदेश पारित करवाया है जबकि तहसीलदार को धारा 53 राज0काश्त0अधि0 के तहत केवल रिकार्डेड टिनेन्ट के मध्य ही बंटवारा करने का अधिकार था जबकि दिनांक 15.4.1972 को किशनलाल, रामेश्वरलाल, रामनारायण, चन्द्रपकाश के नाम कोई खातेदारी दर्ज नही थी न ही खातेदारी दर्ज करने बाबत् कोई घोषणा खातेदारी का वाद ही प्रस्तुत किया गया था । सारी कार्यवाही कानून के विपरीत की गई थी जबकि अपीलांट/वादी भंवरलाल भी धन्नालाल का सुलभी पुत्र है उसको इस आदेश में कोई भूमि नहीं दी गई है व इसका कोई कारण भी इस आदेश में नहीं दिया गया है । अतः दिनांक 15.4.1972 के फर्जी व गैर कानूनी बंटवारे से वादी भंवरलाल पाबंद नहीं है । गैर कानूनी बंटवारे के आधार पर जमाबंदी में हुए इंद्राज को दुरूस्त करवाने का वादी/अपीलांट अधिकारी है । अधी0न्याया0 का दिनांक 15.4.1972 के बंटवारे के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध होकर निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 5 बिना किसी साक्ष्य के प्रतिवादी/रेस्पा के पक्ष में निर्णित की है जबकि खसरा नंबर 825 व 828 को खरीदने बाबत् रेस्पो0 ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधी0न्याया0 के समक्ष प्रदर्शित नहीं किये थे । इसके अतिरिक्त इस तनकी को सिद्ध करने का भार वाद पर तय करने में भी त्रुटि कारित की है ।

9. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने किशनलाल द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 3959/2015 में वादी किशनलाल को 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी रामनारायण, भंवरलाल, रामेश्वर व चन्द्रप्रकाश सभी को 1/5 हिस्से का खातेदार मानने में भूल की है जबकि रामनारायण जो कि अपने काका श्योनारायण के गोद जा चुका था उसका विवादित आराजियात में गोद जाने के बाद कोई हक व हिस्सा नहीं रह जाता है । स्वंय वादी किशनलाल ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि रामनारायण अपने काका श्योनारायण के गोद जा चुका है । अतः ऐसी स्थिति में धन्नालाल की समस्त कृषि भूमियों में उसका कोई अधिकार नहीं रहता है । नामांतकरण संख्या 64 दिनांक 18.6.1992 गैर कानूनी है । यह नामांतकरण किशनलाल ने प्रार्थी के हकों को समाप्त करने हेतु खुलवाया है जिससे प्रार्थी/अपीलांट पाबंद नही है । वादी/अपीलांट एक अनपढ़ किसान है व विपक्षी इस तथ्य का नाजायज तौर पर अपने हक व हिस्से की भूमि से महरूम करना चाहता है । बहस में यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 ने आराजी मुतनाजा के अलावा अन्य भूमियों के बाबत् विवेचन करते हुए गैर कानूनी तौर पर वादी को अन्य भूमि पूर्व में देना मानकर वादी का वाद गैर कानूनी तौर पर निरस्त किया है जबकि विपक्षी ने कोई बंटवारानामा व पारिवारिक बंटवारा प्रस्तुत नहीं किया है । विवादित आराजियात वादी की पैतृक आराजियात है जिसमें वादी का जन्म सिद्ध अधिकार है । अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांट भंवरलाल का वाद खारिज करने में तथा वादी/रेस्पो0 किशनलाल का वाद स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । अतः दोनों अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 7.3.2018 निरस्त किये जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे । विद्वान वकील अपीलाट ने अपने कथनों के समर्थन में डी0एन0जे0 2019 राजस्व पेज 244 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया ।

10. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । मौके पर रेस्पो0 के नाम अलग खाता दर्ज होकर उसी अनुसार रेस्पो0 काबिज काश्त है वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में विधिक बंटवारा हो चुका है इसलिये वादी/अपीलांट भंवरलाल द्वारा नवीन वाद प्रस्तुत करना विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन कर तनकीवार निर्णय पारित कर वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

11. विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपील संख्या 86/2018 के संबंध में कथन किया कि विवादित आराजियात में रेस्पो0 का 1/5, 1/5 हिस्सा निहित है । विवादित आराजियात मृतक धन्ना की तथा धन्ना के दो पत्निया भूला व सोहनी थी । प्रथम पत्नि भूला का देहांत दिनांक 10.9.2004 को तथा द्वितीय पत्नि सोहनी का देहांत दिनांक 25.8.1989 को हो गई थी। प्रथम पत्नि भूला के वारिसान रामनारायण, किशनलाल व चन्द्रप्रकाश है तथा द्वितीय पत्नि सोहनी के वारिसान भंवरलाल व रामेश्वरलाल है । सभी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 संयुक्त रूप से विवादित आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन विश्लेषण उपरांत वादी/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

12. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । नकल जमाबंदी संवत् 2064 से 2067 के अनुसार खसरा नंबर 700, 705, 825, 828, 707, 708,

784, 783, 778, 813, 841, 806, 840, 845, 839, 849, 925, 1053, 1057, 1108, 1109 ग्राम उगाई, तहसील केकड़ी धन्ना पुत्र काना जाट बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है । वादी भंवरलाल एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 किशनलाल, रामेश्वर, चन्द्रप्रकाश के नाम 1/4, 1/4 हिस्सा है। वादी व प्रतिवादीगण की माता भूला व सोहनी का स्वर्गवास हो चुका है तथा राजस्व कैम्प में दिनाक 15.4.1972 को प्रदर्श डी–1 बंटवारा हुआ एवं बंटवारे के अनुसार भूमियां पृथक–पृथक दर्ज की गई है । दिनांक 15.4.1972 के बंटवारा आदेश के विरूद्ध चाराजोही कर निरस्त कराया गया हो ऐसा कोई आदेश पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । जब एक बार बंटवारा हो चुका है तो पुनः नये सिरे से बंटवारे का वाद जब तक पूर्व न्यायिक बंटवारा निरस्त नहीं हो संधारण योग्य नहीं है । अधी0न्याया0 का वाद संख्या 148/2011 बउनवान भंवरलाल बनाम किशनलाल में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7.3.2018 में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

13. जहां तक वाद संख्या 3959/2015 बउनवान किशनलाल बनाम रामनारायण वगै0 में अधी0न्याया0 द्वारा ग्राम उगाई, तहसील केकड़ी स्थित खाता संख्या 35–32 के खसरा नंबर 252, 253, 254, 260, 261, 263 कुल रकबा 32–15–00 बीघा धन्ना पुत्र काना जाट की थी । धन्ना के स्वर्गवास के पश्चात् विरासत नामांतकरण संख्या 64 दिनांक 18.6. 1992 स्वीकृत हुआ । विरासत के अनुसार मु0 भूला, सोहनी बेवा धन्ना, रामनारायण, भंवरलाल, रामेश्वर, किशनलाल व चन्द्रप्रकाश पि0 धन्ना जाट दर्ज हुए । इनमें से धन्ना की प्रथम पत्नि भूला तथा द्वितीय पत्नी सोहनी का स्वर्गवास हो गया है इस कारण धन्ना पुत्र काना के पांच विधिक वारिसान रहे । विवादित भूमि में प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा है । अतः इस वाद के पक्षकारान के मध्य अधी0न्याया0 द्वारा बंटवारे की डिक्री पारित करने में कोई अवैधानिकता अथवा तात्विक अनियमितता नहीं पाई जाती है । अधी0न्याया0 द्वारा वाद संख्या 3959/2015 बउनवान किशनलाल बनाम रामनारायण में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7.3.2018 विधिसम्मत् पाया जाता है ।

14. उपरोक्त विवेचनानुसार दोनों अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा विद्वान अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7.3.2018 यथावत् रखे जाने योग्य पाये जाते है।

15. अतः अपील अपीलांट संख्या 85/2018 बउनवान भंवरलाल बनाम किशनलाल वगैरह एवं अपील संख्या 86/2018 बउनवान भंवरलाल बनाम किशनलाल वगैरह को खारिज किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा वाद संख्या 148/2011 बउनवान भंवरलाल बनाम किशनलाल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7.3.2018 एवं वाद संख्या 3959/2015 बउनवान किशनलाल बनाम रामनारायण वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7.3.2018 को यथावत् रखा जाता है । निर्णय की प्रति दोनों अपील पत्रावलियों में पृथक–पृथक संधारित की जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

16. निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर